

कार्यालय : प्राचाय, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा

विज्ञप्ति

बी.टी.सी. प्रशिक्षण 2011 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेशों एवं उसके अनुक्रम में प्रकाशित विज्ञप्तियों के क्रम में एन.सी.टी.ई. द्वारा बी.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान तथा जनपद की निजी संस्थाओं, जिन्हें एन.सी.टी.ई. द्वारा बी.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा उ.प्र. शासन द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है, को आवंटित सीटों के सापेक्ष निम्नलिखित वर्ग/श्रेणियों में आवंटित सीटों की लगभग दो गुनी संख्या में अभिलेखों की जांच हेतु सूची निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है। अभ्यर्थी उक्त सूची तथा कट ऑफ मेरिट Website-<http://mathura.nic.in>, 'BTC Training' 2011 पर क्लिक करके देख सकते हैं। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/ विशेष आरक्षण/शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र मूल रूप में तथा उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ के साथ निम्नवत उल्लिखित तिथि को प्रातः 9.00 बजे संस्थान में उपस्थित हों।

दिनांक 12.12.2011 को समस्त महिला कला एवं विज्ञान वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी।

दिनांक 13.12.2011 को समस्त पुरुष कला एवं विज्ञान वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी।

दिनांक 14.12.2011 को समस्त महिला एवं पुरुष (विशेष आरक्षण-5,6,7,8,9 एवं समस्त शिक्षा मित्र) वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी।

जांच सूची की कट ऑफ मेरिट का विवरण

श्रेणी	शिक्षा मित्रों से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरुष		महिला	पुरुष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
सामान्य	205.35	204.58	198.56	206.70	175.62	170.81
अनुसूचित जाति	183.14	170.52	179.29	182.46	149.16	162.10
अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-	-
अन्य पिछड़ा वर्ग	195.10	191.13	193.57	198.09	147.59	158.11

विशेष आरक्षण	शिक्षा मित्रों से भिन्न		शिक्षा मित्र	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
विकलांग-दृष्टिबाधित	143.25	138.67	153.10	
विकलांग-श्रवणह्रास	143.42	136.79		
विकलांग-चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्ता	173.13	183.53		
स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित	139.67	141.95	-	-
भूतपूर्व सैनिक	-	133.67	-	-

नोट :-

- उक्त कट ऑफ मेरिट के अन्तर्गत सम्मिलित अभ्यर्थियों को जांच हेतु उपस्थित होने की सूचना केवल समाचार पत्र के माध्यम से ही दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दी जायेगी। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- यह सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है। यह मात्र मूल अभिलेखों की जांच हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों का बी.टी.सी. प्रशिक्षण 2011 में चयन हेतु स्वतः कोई दावा नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त मानते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। जारी की गयी विज्ञप्ति मा0 उच्च न्यायालय/ मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी।

सदस्य सचिव, जनपदीय चयन समिति एवं प्राचाय
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
जनपद मथुरा